उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

आर0एम0पी0 सं0– 03/2016–17

म0 निजामुद्दीन एवं अन्य ..... आवेदक

बनाम

म0 रहमतुल्ला एवं अन्य ..... विपक्षी

।। आदेश ।।

31/01/2017 यह रे0मि0 पिटिशन वाद सं0– 03/2016–17 म0 निजामुद्दीन मोहल्ला दुधानी, दुमका एवं म0 रियाज मोहल्ला अजीम गली, दुमका द्वारा दाखिल आवेदन के आधार पर प्रारंभ किया गया है जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि दुमका नगर क्षेत्र अन्तर्गत अजीम गली लेन स्थित दाग सं0 976 पर अवस्थित दुकान एवं गोदाम पर सिनियर सिविल जज सं0 II के न्यायालय में टाईटल पार्टीशन सूट सं0 87/2005 चल रहा है। न्यायालय द्वारा उक्त दाग सं0 पर यथा स्थिति बहाल रखने का आदेश दिया गया है किन्तु अनुमंडल कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 62/अनु0विधि दिनांक 19.12.2016 द्वारा मो0 जियाद्दीन (चाँद) पिता स्व0 मो0 फिदा हुसैन को उक्त दाग में स्थित मो0 रहमतुल्ला के दुकान एवं गोदाम को खुलवाने का अनुमति प्रदान किया गया। आवेदक द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश ज्ञापांक 62/अनु0विधि दिनांक 19.12.2016 को टाईटल सूट समाप्ति तक स्थगित रखने हेतु आवेदन निम्न न्यायालय में दाखिल किया गया किन्तु निम्न न्यायालय द्वारा पूर्व पारित आदेश ज्ञापांक 62/अनु0विधि दिनांक 19.12.2016 द्वारा निर्गत आदेश को ही बरकरार रखा गया है जो न्यायसंगत नहीं है। अतः निम्न न्यायालय के आदेश को विलोपित किया जाय।

मैंने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उभय पक्षों के बीच अपने पैतृक सम्पत्ति का मालिकाना हक को लेकर सब जज सं0 II दुमका के न्यायालय में टाईटल सूट सं0 87/05 चल रहा है। इस वाद में सब जज सं0 II दुमका द्वारा दिनांक 08.02.2012 को पारित आदेश में सूट सम्पत्ति पर यथा स्थिति बहाल किया गया है किन्तु सूट आवेदन के प्रति के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त तिथि को विवादित दाग सं0 976 सूट सम्पत्ति में सम्मिलित नहीं था। टाईटल सूट आवेदन में दिनांक 12.02.2014 को पारित आदेश द्वारा उक्त दाग सं0 976 एवं अन्य कुछ दागों पर सम्मिलित किया गया है।

इस प्रकार स्पष्ट होता है कि सब जज सं0 II दुमका के न्यायालय में लंबित टाईटल सूट सं0 87/05 में दिनांक 08.02.2012 को पारित आदेश द्वारा आवेदित सूट सम्पत्ति पर यथा स्थिति बहाल

किया गया है किन्तु उक्त तिथि को विवादित दाग सं0 976 सूट सम्पत्ति में सम्मिलित नहीं था बल्कि इसे दिनांक 12.02.2014 के पारित आदेश द्वारा सूट आवेदन में सम्मिलित किया गया है। ऐसी स्थिति में इस दाग सं0 976 पर यथा स्थिति बहाल (स्थगन आदेश) लागू समझा जायेगा अथवा नहीं। इस संबंध में इस न्यायालय द्वारा विचार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः आवेदक का आवेदन की कार्रवाई समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित ।

उपायुक्त,
दुमका।

उपायुक्त,
दुमका।